न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 26/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थी – 1.सोमाराम पुत्र सांवताराम
जाति सुथार, निवासी मते का तला
तहसील तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :– **श्री जुगतसिंह**

विप्रार्थीगण :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 26.11.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा भाडा गुल मोहम्मद, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला, तहसील चौहटन में प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा सं. 246/129 रकबा 50.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी शरणार्थी परिवार से भूमिहिन होने के कारण उक्त भूमि उसे सरकार द्वारा गैर खातेदारी से आंवटन की गई जिसके नामान्तरकरण खोला गया उसकी संख्या 198 है व खातेदारी दी गई जिसके नामान्तरकरण सं. 276 है।

प्रार्थी एक गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है और उसे राजस्व रेकर्ड देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण करते वक्त भूलवंश से सामा वल्द सांवता लिखा गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सोमाराम है तथा सरकारी दस्तावेजों यथा मतदान पहच[illegible] आदि एवं ग्राम मते का तला में खरीदसुदा खेत खसरा सं. 2[illegible] में प्रार्थी का सही नाम सोमाराम दर्ज है। प्रार्थी का घरेलू बोलचाल [illegible] था जिससे राजस्व [illegible] अंकन करवाते समय सामा दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का स[illegible] नाम सोमाराम है। जि[illegible]स्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी को नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। नाम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प देदूसर में पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं पक्षकार उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन द्वारा नाम दुरस्ती संबंधी अपनी रिपोर्ट पेश कर प्रार्थी का नाम सामा पुत्र सांवता के स्थान पर सोमाराम पुत्र सांवताराम दुरस्त करने की अनुशंषा की।

प्रार्थी वकील एवं उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा भाडा गुल मोहम्मद, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 246/129 रकबा 50.00 बीघा में दर्ज प्रार्थी का नाम सामा पुत्र सांवता के स्थान पर सोमाराम पुत्र सांवताराम दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प देदूसर में मजमें आम सुनाया गया ।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम - II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:46:35 IST
Reason: SelfAttested